स0 स0 14/.एम 11–1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार,पटना

153 (14)

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
के0 ई0एम0 अस्पताल
एडं सेठ जी0एस0 मेडिकल कालेज
परेल मुम्बई 400012

पटना, दिनांक 24-01-2025

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **04.12.2024** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गौहर अली पिता– मो0 सलीम ग्राम– डलौर शोभन पो0– लालसाहपुर थाना– सिमरी जिला– दरभगा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000/–	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 3,00,000/–(तीन लाख)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 967790..........द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **99350100000877 (S.B.),** खाता धारक का नाम– **K.E.M. Hospital, Poor Box Charity Fund,**, खाते का प्रकार– , बैक का नाम Bank of Baroda. शाखा का नाम– **Parel Branch,** RTGS/IFSC कोड स0– BARB0DBPARE में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि**

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख।

ज्ञापांक 153 (14) पटना, दिनांक 24-01-2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 767790 .की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी सबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 / एम 11–1 / 2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक 153(14)

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
के0 ई0एम0 अस्पताल
एंड सेठ जी0एस0 मेडिकल कालेज
परेल मुम्बई 400012

पटना, दिनांक 24.12.2024

विषय– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 04.12.2024 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गोहर अली पिता– मो0 सलीम ग्राम– डलौर शोभन पो0– लालसाहपुर थाना– सिमरी जिला– दरभंगा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख मात्र
			₹ 3,00,000/–	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/–(तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए उक्त संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालू खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 967790 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 99350100000877 (S.B.), खाता धारक का नाम– K.E.M. Hospital, Poor Box Charity Fund, खाता का प्रकार– , बैंक का नाम Bank of Baroda, शाखा का नाम– Parel Branch, RTGS/IFSC कोड सं0– BARB0DBPARE मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्बन्धी ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN00063[illegible] शाखा-- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 प्रमोद कुमार)
निदेशक प्रमुख।

ज्ञापांक 153(14) पटना, दिनांक 24-01-2015

प्रतिलिपि-- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 967790 की कुल राशि का [illegible] कंडिका--2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (दोनों प्रतियों [illegible]) / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख